(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(67)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 254

Dated: 29/12/2020

Notification No 68/2019- State Tax

No. F.3(67)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-IV/ : In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force with effect from 13th December, 2019.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
- "(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.
- (5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
- (6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).".

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 29/12/2020

No.F3(67)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 254

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

- 3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi. 10. Website.
- 11. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22nd June, 2017, published vide No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342,, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No. 56/2019 - State Tax, dated the 15/10/2020, published vide No. F.3(17)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-IV/121, dated 15/10/2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली—110 002.

सं.फा. 3(67) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डीएस-IV / 254

दिनांकः 29/12/2020.

अधिसूचना संख्या 68/2019-राज्य कर

सं.फा. 3(67) / वित्त (राजस्व—I) / 2020—21 / डीएस—IV / - दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (आठवॉ संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम 13 दिसम्बर, 2019 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
- "(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्टा सूचना को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात प्ररूप जीएसटी आईएनवी—01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।
- (5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
- (6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे ।"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

दिनांकः २१/12/2020

सं.फा. 3(67) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डीएस-IV / ३५५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

10 वेंब साईट।

11. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4,में अधिसूचना, तारीख 22 जून, 2017 सं.फा. 3(10)/ वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डी.एस.VI/ 342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सं.फा. 3(17)/ वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डी.एस. IV/121 तारीख 15/10/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 56/2019- राज्य कर, तारीख 15/10/2020 के माध्यम से किया गया था।